

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर अटल नगर

=====0=====


:: आदेश ::

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29/12/2022

क्रमांक एफ 12-89/2022/20-दो :: विभागीय आदेश क्रमांक एफ 2-88/2022/20-दो, दिनांक 30.09.2022 के सरल क्रमांक 642 में अंकित श्री पेमन लाल कोमा, शिक्षक, शा.पू.मा.शाला तरेगांव मैदान, वि.खं. बोड़ला, जिला कबीरधाम को स्वैच्छिक आधार पर स्थानांतरित करते हुए शा.पू.मा.शाला धरमपुरा, वि.खं. तिल्दा, जिला रायपुर में पदस्थ किया गया था।

2/ चूंकि उक्त स्थानांतरण से सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति, 2022 की कंडिका 3 का उल्लंघन हुआ है। अतः राज्य शासन, एतद्वारा, श्री पेमन लाल कोमा, शिक्षक, शा.पू.मा.शाला तरेगांव मैदान, वि.खं. बोड़ला, जिला कबीरधाम का शा.पू.मा. शाला धरमपुरा, वि.खं. तिल्दा, जिला रायपुर में किया गया स्थानांतरण निरस्त करता है।


(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी. वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

पृ.क्र. एफ 12-89/2022/20-दो, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29/12/2022
प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.)।
2. विशेष सहायक, मान.मंत्री जी, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर (छ.ग.)।
3. अवर सचिव, छ.ग. शासन, कार्यालय मुख्य सचिव, मंत्रालय, नवा रायपुर।
4. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर जिला रायपुर।
5. संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण कार्यालय, दुर्ग/रायपुर (छ.ग.)।
6. कलेक्टर, जिला कबीरधाम/रायपुर(छ.ग.)।
7. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कबीरधाम/रायपुर(छ.ग.)।

8. जिला कोषालय अधिकारी, जिला कबीरधाम/रायपुर (छ.ग.)।
9. संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी,.....(छ.ग.)।
10. संबंधित प्रधान पाठक(छ.ग.)।
11. संबंधित श्री पेमन लाल कोमा, शिक्षक, शा.पू.मा.शाला तरेगांव मैदान, वि.खं. बोड़ला, जिला कबीरधाम (छ.ग.) ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
12. गार्ड फाईल।


अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर अटल नगर

=====0=====


:: आदेश ::

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29/12/2022

क्रमांक एफ 12-89/2022/20-दो :: विभागीय आदेश क्रमांक एफ 2-88/2022/20-दो, दिनांक 30.09.2022 के सरल क्रमांक 673 में अंकित श्री दीन मोहम्मद, शिक्षक, शा.पू.मा.शाला पोंडी, वि.खं. बोड़ला, जिला कबीरधाम को प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरित करते हुए शा.पू.मा.शाला अंधियारखोर, वि.खं. नवागढ़, जिला बेमेतरा में पदस्थ किया गया था।

2/ चूंकि उक्त स्थानांतरण से सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति, 2022 की कंडिका 3 का उल्लंघन हुआ है। अतः राज्य शासन, एतद्वारा, श्री दीन मोहम्मद, शिक्षक, शा.पू.मा.शाला पोंडी, वि.खं. बोड़ला, जिला कबीरधाम का शा.पू.मा.शाला अंधियारखोर, वि.खं. नवागढ़, जिला बेमेतरा में किया गया स्थानांतरण निरस्त करता है।


(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी. वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

पृ.क्र. एफ 12-89/2022/20-दो, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29/12/2022
प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव छ.ग. शासन, माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.)।
2. विशेष सहायक, मान.मंत्री जी, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर (छ.ग.)।
3. अवर सचिव, छ.ग. शासन, कार्यालय मुख्य सचिव, मंत्रालय, नवा रायपुर।
4. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर जिला रायपुर।
5. संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण कार्यालय, दुर्ग (छ.ग.)।
6. कलेक्टर, जिला कबीरधाम/बेमेतरा(छ.ग.)।
7. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कबीरधाम/बेमेतरा(छ.ग.)।

8. जिला कोषालय अधिकारी, जिला कबीरधाम/बेमेतरा (छ.ग.)।
 9. संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी,.....(छ.ग.)।
 10. संबंधित प्रधान पाठक(छ.ग.)।
 11. संबंधित श्री दीन मोहम्मद, शिक्षक, शा.पू.मा.शाला पोंडी, वि.खं. बोड़ला, जिला कबीरधाम (छ.ग.) ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
12. गार्ड फाईल ।


अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर अटल नगर

=====0=====


:: आदेश ::

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29/12/2022

क्रमांक एफ 12-89/2022/20-दो :: विभागीय आदेश क्रमांक एफ 2-88/2022/20-दो. दिनांक 30.09.2022 के सरल क्रमांक 691 में अंकित श्री बाबा लाल मोहले, शिक्षक, शा.पू.मा.शाला पीपरमटी, वि.खं. पण्डरिया, जिला कबीरधाम को स्वैच्छिक आधार पर स्थानांतरित करते हुए शा.पू.मा.शाला रामगढ़, वि.खं. व जिला मुंगेली में पदस्थ किया गया था।

2/ चूंकि उक्त स्थानांतरण से सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति, 2022 की कंडिका 3 का उल्लंघन हुआ है। अतः राज्य शासन, एतद्वारा, श्री बाबा लाल मोहले, शिक्षक, शा.पू.मा.शाला पीपरमटी, वि.खं. पण्डरिया, जिला कबीरधाम का शा.पू.मा. शाला रामगढ़, वि.खं. व जिला मुंगेली में किया गया स्थानांतरण निरस्त करता है।


(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी. वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

पृ.क्र. एफ 12-89/2022/20-दो, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29/12/2022
प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.)।
2. विशेष सहायक, मान.मंत्री जी, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर (छ.ग.)।
3. अवर सचिव, छ.ग. शासन, कार्यालय मुख्य सचिव, मंत्रालय, नवा रायपुर।
4. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर जिला रायपुर।
5. संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण कार्यालय, दुर्ग/बिलासपुर (छ.ग.)।
6. कलेक्टर, जिला कबीरधाम/मुंगेली(छ.ग.)।
7. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कबीरधाम/मुंगेली(छ.ग.)।

8. जिला कोषालय अधिकारी, जिला कबीरधाम/मुंगेली (छ.ग.)।
 9. संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी,.....(छ.ग.)।
 10. संबंधित प्रधान पाठक(छ.ग.)।
 11. संबंधित श्री बाबा लाल मोहले, शिक्षक, शा.पू.मा.शाला पीपरमटी, वि.खं. पण्डरिया,
जिला कबीरधाम (छ.ग.) ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
12. गार्ड फाईल ।


अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर अटल नगर

=====0=====

:: आदेश ::

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29/12/2022

क्रमांक एफ 12-89/2022/20-दो :: विभागीय आदेश क्रमांक एफ 2-88/2022/20-दो, दिनांक 30.09.2022 के सरल क्रमांक 741 में अंकित श्री गोवर्धन सिंह कैवर्त, शिक्षक, शा.पू.मा.शाला तेलियापानी धोबे, वि.खं. पण्डरिया, जिला कबीरधाम को प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरित करते हुए शा.पू.मा.शाला बुचीपारा, वि.खं. व जिला मुंगेली में पदस्थ किया गया था।

2/ चूंकि उक्त स्थानांतरण से सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति, 2022 की कंडिका 3 का उल्लंघन हुआ है। अतः राज्य शासन, एतद्वारा, श्री गोवर्धन सिंह कैवर्त, शिक्षक एल.बी., शा.पू.मा.शाला तेलियापानी धोबे, वि.खं. पण्डरिया, जिला कबीरधाम का शा.पू.मा.शाला बुचीपारा, वि.खं. व जिला मुंगेली में किया गया स्थानांतरण निरस्त करता है।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी. वर्मा)

अवर सचिव


छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

पू.क्र. एफ 12-89/2022/20-दो, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29/12/2022

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.)।
2. विशेष सहायक, मान.मंत्री जी, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर (छ.ग.)।
3. अवर सचिव, छ.ग. शासन, कार्यालय मुख्य सचिव, मंत्रालय, नवा रायपुर।
4. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर जिला रायपुर।
5. संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण कार्यालय, दुर्ग/बिलासपुर (छ.ग.)।

6. कलेक्टर, जिला कबीरधाम/मुंगेली(छ.ग.)।
 7. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कबीरधाम/मुंगेली(छ.ग.)।
 8. जिला कोषालय अधिकारी, जिला कबीरधाम/मुंगेली (छ.ग.)।
 9. संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी,.....(छ.ग.)।
 10. संबंधित प्रधान पाठक(छ.ग.)।
 11. संबंधित श्री गोवर्धन सिंह कैवर्त, शिक्षक एल.बी., शा.पू.मा.शाला तेलियापानी धोबे,
वि.खं. पण्डरिया, जिला कबीरधाम (छ.ग.) ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
12. गार्ड फाईल ।



अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर अटल नगर

=====0=====

:: आदेश ::

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29/12/2022

क्रमांक एफ 12-89/2022/20-दो :: विभागीय आदेश क्रमांक एफ 2-88/2022/20-दो, दिनांक 30.09.2022 के सरल क्रमांक 750 में अंकित श्री मनीष कुमार यादव, शिक्षक, शा.पू.मा.शाला बंनगौरा, वि.खं. बोड़ला, जिला कबीरधाम को स्वैच्छिक आधार पर स्थानांतरित करते हुए शा.पू.मा.शाला नेवारीकला, वि.खं. व जिला बालोद में पदस्थ किया गया था।

2/ चूंकि उक्त स्थानांतरण से सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति, 2022 की कंडिका 3 का उल्लंघन हुआ है। अतः राज्य शासन, एतद्वारा, श्री मनीष कुमार यादव, शिक्षक एल.बी., शा.पू.मा.शाला बंनगौरा, वि.खं. बोड़ला, जिला कबीरधाम का शा.पू.मा. शाला नेवारीकला, वि.खं. व जिला बालोद में किया गया स्थानांतरण निरस्त करता है।


(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
29/12/22
(आर.पी. वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

पृ.क्र. एफ 12-89/2022/20-दो, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29/12/2022
प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.)।
2. विशेष सहायक, मान.मंत्री जी, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर (छ.ग.)।
3. अवर सचिव, छ.ग. शासन, कार्यालय मुख्य सचिव, मंत्रालय, नवा रायपुर।
4. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर जिला रायपुर।
5. संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण कार्यालय, दुर्ग (छ.ग.)।
6. कलेक्टर, जिला कबीरधाम/बालोद(छ.ग.)।
7. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कबीरधाम/बालोद(छ.ग.)।

8. जिला कोषालय अधिकारी, जिला कबीरधाम/बालोद (छ.ग.)।
 9. संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी,.....(छ.ग.)।
 10. संबंधित प्रधान पाठक(छ.ग.)।
 11. संबंधित श्री मनीष कुमार यादव, शिक्षक, शा.पू.मा.शाला बंनगौरा, वि.खं. बोड़ला, जिला कबीरधाम (छ.ग.) ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
12. गार्ड फाईल।


अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर अटल नगर

=====0=====

:: आदेश ::


नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29/12/2022

क्रमांक एफ 12-89/2022/20-दो :: विभागीय आदेश क्रमांक एफ 2-88/2022/20-दो, दिनांक 30.09.2022 के सरल क्रमांक 761 में अंकित श्री अनुप चंद राठौर, शिक्षक, शा.पू.मा.शाला कुम्ही, वि.खं. पण्डरिया, जिला कबीरधाम को स्वैच्छिक आधार पर स्थानांतरित करते हुए शा.पू.मा.शाला राम्हेपुर, वि.खं. लोरमी, जिला मुंगेली में पदस्थ किया गया था।

2/ चूंकि उक्त स्थानांतरण से सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति, 2022 की कंडिका 3 का उल्लंघन हुआ है। अतः राज्य शासन, एतद्वारा, श्री अनुप चंद राठौर, शिक्षक, शा.पू.मा.शाला कुम्ही, वि.खं. पण्डरिया, जिला कबीरधाम का शा.पू.मा.शाला राम्हेपुर, वि.खं. लोरमी, जिला मुंगेली में किया गया स्थानांतरण निरस्त करता है।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी. वर्मा)

अवर सचिव


छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

पृ.क्र. एफ 12-89/2022/20-दो, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29/12/2022

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.)।
2. विशेष सहायक, मान.मंत्री जी, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर (छ.ग.)।
3. अवर सचिव, छ.ग. शासन, कार्यालय मुख्य सचिव, मंत्रालय, नवा रायपुर।
4. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर जिला रायपुर।
5. संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण कार्यालय, दुर्ग/बिलासपुर (छ.ग.)।
6. कलेक्टर, जिला कबीरधाम/मुंगेली(छ.ग.)।
7. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कबीरधाम/मुंगेली(छ.ग.)।

8. जिला कोषालय अधिकारी, जिला कबीरधाम/मुंगेली (छ.ग.)।
 9. संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी,.....(छ.ग.)।
 10. संबंधित प्रधान पाठक(छ.ग.)।
 11. संबंधित श्री अनुप चंद राठौर, शिक्षक, शा.पू.मा.शाला कुम्ही, वि.खं. पण्डरिया, जिला कबीरधाम (छ.ग.) ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
12. गार्ड फाईल ।


अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर अटल नगर

=====0=====

:: आदेश ::

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29/12/2022

क्रमांक एफ 12-89/2022/20-दो :: विभागीय आदेश क्रमांक एफ 2-88/2022/20-दो, दिनांक 30.09.2022 के सरल क्रमांक 763 में अंकित अंजली वर्मा, शिक्षक एल.बी., शा.पू.मा.शाला कोटरा बुंदेली, वि.खं. पण्डरिया, जिला कबीरधाम को स्वैच्छिक आधार पर स्थानांतरित करते हुए शा.पू.मा.शाला सुवरतला, वि.खं. साजा, जिला बेमेतरा में पदस्थ किया गया था।

2/ चूंकि उक्त स्थानांतरण से सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति, 2022 की कंडिका 3 का उल्लंघन हुआ है। अतः राज्य शासन, एतद्द्वारा, अंजली वर्मा, शिक्षक एल.बी., शा.पू.मा.शाला कोटरा बुंदेली, वि.खं. पण्डरिया, जिला कबीरधाम का शा.पू. मा.शाला सुवरतला, वि.खं. साजा, जिला बेमेतरा में किया गया स्थानांतरण निरस्त करता है।
(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
[Signature]
(आर.पी. वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

पृ.क्र. एफ 12-89/2022/20-दो, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29/12/2022
प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.)।
2. विशेष सहायक, मान.मंत्री जी, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर (छ.ग.)।
3. अवर सचिव, छ.ग. शासन, कार्यालय मुख्य सचिव, मंत्रालय, नवा रायपुर।
4. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर जिला रायपुर।
5. संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण कार्यालय, दुर्ग (छ.ग.)।
6. कलेक्टर, जिला कबीरधाम/बेमेतरा(छ.ग.)।
7. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कबीरधाम/बेमेतरा(छ.ग.)।

8. जिला कोषालय अधिकारी, जिला कबीरधाम/बेमेतरा (छ.ग.)।
9. संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी,.....(छ.ग.)।
10. संबंधित प्रधान पाठक(छ.ग.)।
11. संबंधित अंजली वर्मा, शिक्षक एल.बी., शा.पू.मा.शाला कोटरा बुंदेली, वि.खं. पण्डरिया, जिला कबीरधाम (छ.ग.)।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

12. गार्ड फाईल।



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर अटल नगर

=====0=====


:: आदेश ::

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29/12/2022

क्रमांक एफ 12-89/2022/20-दो :: विभागीय आदेश क्रमांक एफ 2-88/2022/20-दो, दिनांक 30.09.2022 के सरल क्रमांक 872 में अंकित श्रीमती दानेश्वरी साहू, शिक्षक एल.बी., शा.पू.मा.शाला भंडारपुर, वि.खं. स.लोहारा, जिला कबीरधाम को स्वैच्छिक आधार पर स्थानांतरित करते हुए शा.पू.मा.शाला कातरो, वि.खं. व जिला दुर्ग में पदस्थ किया गया था।

2/ चूंकि उक्त स्थानांतरण से सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति, 2022 की कंडिका 3 का उल्लंघन हुआ है। अतः राज्य शासन, एतद्वारा, श्रीमती दानेश्वरी साहू, शिक्षक एल.बी., शा.पू.मा.शाला भंडारपुर, वि.खं. स.लोहारा, जिला कबीरधाम का शा.पू. मा.शाला कातरो, वि.खं. व जिला दुर्ग में किया गया स्थानांतरण निरस्त करता है।


(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी. वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

पृ.क्र. एफ 12-89/2022/20-दो, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29/12/2022
प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.)।
2. विशेष सहायक, मान.मंत्री जी, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर (छ.ग.)।
3. अवर सचिव, छ.ग. शासन, कार्यालय मुख्य सचिव, मंत्रालय, नवा रायपुर।
4. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर जिला रायपुर।
5. संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण कार्यालय, दुर्ग (छ.ग.)।
6. कलेक्टर, जिला कबीरधाम/दुर्ग(छ.ग.)।
7. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कबीरधाम/दुर्ग(छ.ग.)।

8. जिला कोषालय अधिकारी, जिला कबीरधाम/दुर्ग (छ.ग.)।
 9. संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी,.....(छ.ग.)।
 10. संबंधित प्रधान पाठक(छ.ग.)।
 11. संबंधित श्रीमती दानेश्वरी साहू शिक्षक एल.बी., शा.पू.मा.शाला भंडारपुर, वि.खं. स.लोहारा, जिला कबीरधाम (छ.ग.) ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
12. गार्ड फाईल ।



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर अटल नगर

=====0=====


:: आदेश ::

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29/12/2022

क्रमांक एफ 12-89/2022/20-दो :: विभागीय आदेश क्रमांक एफ 2-88/2022/20-दो, दिनांक 30.09.2022 के सरल क्रमांक 954 में अंकित श्री आनंद किशोर पाण्डेय, शिक्षक एल.बी., शा.पू.मा.शाला मोहतरा खुर्द, वि.खं. पण्डरिया, जिला कबीरधाम को स्वैच्छिक आधार पर स्थानांतरित करते हुए शा.पू.मा.शाला परसदा, वि.खं. बिल्हा, जिला बिलासपुर में पदस्थ किया गया था।

2/ चूंकि उक्त स्थानांतरण से सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति, 2022 की कंडिका 3 का उल्लंघन हुआ है। अतः राज्य शासन, एतद्वारा, श्री आनंद किशोर पाण्डेय, शिक्षक एल.बी., शा.पू.मा.शाला मोहतरा खुर्द, वि.खं. पण्डरिया, जिला कबीरधाम का शा.पू.मा.शाला परसदा, वि.खं. बिल्हा, जिला बिलासपुर में किया गया स्थानांतरण निरस्त करता है।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी. वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

पृ.क्र. एफ 12-89/2022/20-दो, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29/12/2022
प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.)।
2. विशेष सहायक, मान.मंत्री जी, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर (छ.ग.)।
3. अवर सचिव, छ.ग. शासन, कार्यालय मुख्य सचिव, मंत्रालय, नवा रायपुर।
4. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर जिला रायपुर।
5. संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण कार्यालय, दुर्ग/बिलासपुर (छ.ग.)।
6. कलेक्टर, जिला कबीरधाम/बिलासपुर(छ.ग.)।

7. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कबीरधाम/बिलासपुर(छ.ग.)।
 8. जिला कोषालय अधिकारी, जिला कबीरधाम/बिलासपुर (छ.ग.)।
 9. संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी,.....(छ.ग.)।
 10. संबंधित प्रधान पाठक(छ.ग.)।
 11. संबंधित श्री आनंद किशोर पाण्डेय, शिक्षक एल.बी., शा.पू.मा.शाला मोहतरा खुर्द,
वि.खं. पण्डरिया, जिला कबीरधाम (छ.ग.) ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
12. गार्ड फाईल ।


29/12/22

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर अटल नगर

=====0=====


:: आदेश ::

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29/12/2022

क्रमांक एफ 12-89/2022/20-दो :: विभागीय आदेश क्रमांक एफ 2-88/2022/20-दो, दिनांक 30.09.2022 के सरल क्रमांक 978 में अंकित श्री राम कुमार चंद्रवंशी, शिक्षक एल.बी., शा.पू.मा.शाला शंभुपिपर, वि.खं. बोड़ला, जिला कबीरधाम को स्वैच्छिक आधार पर स्थानांतरित करते हुए शा.पू.मा.शाला बजरंजपुर, वि.खं. छुरिया, जिला राजनांदगांव में पदस्थ किया गया था।

2/ चूंकि उक्त स्थानांतरण से सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति, 2022 की कंडिका 3 का उल्लंघन हुआ है। अतः राज्य शासन, एतद्वारा, श्री राम कुमार चंद्रवंशी, शिक्षक एल.बी., शा.पू.मा.शाला शंभुपिपर, वि.खं. बोड़ला, जिला कबीरधाम का शा.पू. मा.शाला बजरंजपुर, वि.खं. छुरिया, जिला राजनांदगांव में किया गया स्थानांतरण निरस्त करता है।

(समन्वय में अनुमोदित)


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी. वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

पृ.क्र. एफ 12-89/2022/20-दो, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29/12/2022

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.)।
2. विशेष सहायक, मान.मंत्री जी, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर (छ.ग.)।
3. अवर सचिव, छ.ग. शासन, कार्यालय मुख्य सचिव, मंत्रालय, नवा रायपुर।
4. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर जिला रायपुर।
5. संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण कार्यालय, दुर्ग (छ.ग.)।
6. कलेक्टर, जिला कबीरधाम/राजनांदगांव(छ.ग.)।

7. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कबीरधाम/राजनांदगांव(छ.ग.)।
 8. जिला कोषालय अधिकारी, जिला कबीरधाम/राजनांदगांव (छ.ग.)।
 9. संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी,.....(छ.ग.)।
 10. संबंधित प्रधान पाठक(छ.ग.)।
 11. संबंधित श्री राम कुमार चंद्रवंशी, शिक्षक एल.बी., शा.पू.मा.शाला शंभुपिपर, वि.खं. बोड़ला, जिला कबीरधाम (छ.ग.) ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
12. गार्ड फाईल ।


अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर अटल नगर

=====0=====


:: आदेश ::

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29/12/2022

क्रमांक एफ 12-89/2022/20-दो :: विभागीय आदेश क्रमांक एफ 2-88/2022/20-दो, दिनांक 30.09.2022 के सरल क्रमांक 981 में अंकित श्री राम कुमार चंद्रवंशी, शिक्षक, शा.पू.मा.शाला बokerखार, वि.खं. बोड़ला, जिला कबीरधाम को स्वैच्छिक आधार पर स्थानांतरित करते हुए शा.पू.मा.शाला गिदरी, वि.खं. छुरिया, जिला राजनांदगांव में पदस्थ किया गया था।

2/ चूंकि उक्त स्थानांतरण से सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति, 2022 की कंडिका 3 का उल्लंघन हुआ है। अतः राज्य शासन, एतद्वारा, श्री राम कुमार चंद्रवंशी, शिक्षक, शा.पू.मा.शाला बokerखार, वि.खं. बोड़ला, जिला कबीरधाम का शा.पू.मा.शाला गिदरी, वि.खं. छुरिया, जिला राजनांदगांव में किया गया स्थानांतरण निरस्त करता है।


(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी. वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

पृ.क्र. एफ 12-89/2022/20-दो, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29/12/2022
प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.)।
2. विशेष सहायक, मान.मंत्री जी, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर (छ.ग.)।
3. अवर सचिव, छ.ग. शासन, कार्यालय मुख्य सचिव, मंत्रालय, नवा रायपुर।
4. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर जिला रायपुर।
5. संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण कार्यालय, दुर्ग (छ.ग.)।
6. कलेक्टर, जिला कबीरधाम/राजनांदगांव(छ.ग.)।

7. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कबीरधाम/राजनांदगांव(छ.ग.)।
8. जिला कोषालय अधिकारी, जिला कबीरधाम/राजनांदगांव (छ.ग.)।
9. संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी,.....(छ.ग.)।
10. संबंधित प्रधान पाठक(छ.ग.)।
11. संबंधित श्री राम कुमार चंद्रवंशी, शिक्षक एल.बी., शा.पू.मा.शाला बोरखार, वि.खं. बोडला, जिला कबीरधाम (छ.ग.) ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
12. गार्ड फाईल।


अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर अटल नगर

=====0=====


:: आदेश ::

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29/12/2022

क्रमांक एफ 12-89/2022/20-दो :: विभागीय आदेश क्रमांक एफ 2-94/2022/20-दो, दिनांक 30.09.2022 के सरल क्रमांक 58 में अंकित श्री जोहर लाल पटेल, प्रधान पाठक मा.शा., शा.पू.मा.शाला मैनपुरी, वि.खं. कवर्धा, जिला कबीरधाम को स्वैच्छिक आधार पर स्थानांतरित करते हुए शा.पू.मा.शाला पिड़ियाल, वि.खं. डौण्डी लोहारा, जिला बालोद में पदस्थ किया गया था।

2/ चूंकि उक्त स्थानांतरण से सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति, 2022 की कंडिका 3 का उल्लंघन हुआ है। अतः राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री जोहर लाल पटेल, प्रधान पाठक मा.शा., शा.पू.मा.शाला मैनपुरी, वि.खं. कवर्धा, जिला कबीरधाम का शा.पू. मा.शाला पिड़ियाल, वि.खं. डौण्डी लोहारा, जिला बालोद में किया गया स्थानांतरण निरस्त करता है।


(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी. वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

पृ.क्र. एफ 12-89/2022/20-दो, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29/12/2022
प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.)।
2. विशेष सहायक, मान.मंत्री जी, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर (छ.ग.)।
3. अवर सचिव, छ.ग. शासन, कार्यालय मुख्य सचिव, मंत्रालय, नवा रायपुर।
4. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर जिला रायपुर।
5. संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण कार्यालय, दुर्ग (छ.ग.)।
6. कलेक्टर, जिला कबीरधाम/बालोद(छ.ग.)।

7. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कबीरधाम/बालोद(छ.ग.)।
 8. जिला कोषालय अधिकारी, जिला कबीरधाम/बालोद (छ.ग.)।
 9. संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी,.....(छ.ग.)।
 10. संबंधित प्रधान पाठक(छ.ग.)।
 11. संबंधित श्री जोहर लाल पटेल, प्रधान पाठक मा.शा., शा.पू.मा.शाला मैनपुरी, वि.खं. कवर्धा, जिला कबीरधाम (छ.ग.) ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
12. गार्ड फाईल ।


29/12/22
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग